

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक.....113/31/977

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 07/2018

पटना, दिनांक.....21.02.19

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
(संलग्न तालिकानुसार)।

विषय :-

मुख्य शीर्ष-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-103-हथकरघा उद्योग, मांग सख्या-23, उपशीर्ष-0001- हथकरघा के विकास की योजना, विपत्र कोड-23-2851001030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में गैर योजना (स्थायी) कार्यालयों को स्थापना व्यय वहन करने के लिए रू० 7,81,000/- (सात लाख एकासी हजार रूपये) मात्र राशि का आवंटन।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन संलग्न सूची के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना से संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल रू० 7,81,000/- (सात लाख एकासी हजार रूपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक शीर्ष-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-103- हथकरघा उद्योग, मांग सख्या-23, उपशीर्ष-0001- हथकरघा के विकास की योजना, विपत्र कोड-23-2851001030001 एवं इसके अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन द्वारा किये गये अतिरिक्त उपबंध से विकलित होगा।

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय वहन करने हेतु दिया जा रहा है।
4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।


(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(च) 2018-19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

(छ) मुख्य बजट शीर्ष-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-103- हथकरघा उद्योग, मांग सख्या-23, उपशीर्ष-0001- हथकरघा के विकास की योजना, विपत्र कोड-23-2851001030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में गैर योजना (स्थायी) कार्यालयों को स्थापना व्यय वहन करने के लिए रु0 7,81,000/- (सात लाख एकासी हजार रूपये) मात्र के आवंटन के आलोक में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के स्थापना खर्च की गणना कर ली जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश की कंडिका-11 में निहित अनुदेश का अनुपालन किया जाय। यदि आवंटन से अधिक राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य एवं पदवार व्यय के साथ कारणों को दिखाते हुए शीघ्र सूचित करें।


विश्वासभाजन


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 113/31/927

पटना, दिनांक 21.02.19


प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, गया/पटना/भागलपुर/सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 113/31/927

पटना, दिनांक 21.02.19


प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0-डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-103-हथकरघा उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0001-हथकरघा के विकास की योजना, विपत्र कोड-23-2851.00.103.0001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय वहन करने के लिए गैर योजना (स्थायी) कार्यालयों को राशि का आवंटन।

| क्र० | कार्यालय का नाम | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | वेतन | जी० या० भत्ता | मकान किराया भत्ता | चिकित्सा भत्ता | योग वेतन एवं भत्ते | यात्रा व्यय | कार्यालय व्यय | वर्दी/पोशाक | प्रशिक्षण व्यय | छात्रवृत्ति/वजीफा | कुल योग |
|------|---|--|------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | विषय शीर्ष | 0001.01.01 | 0001.01.03 | 0001.01.04 | 0001.01.06 | | 0001.11.01 | 0001.13.01 | 0001.13.06 | 0001.20.03 | 0001.34.01 | |
| 1 | हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना। | वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना। | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 64000 | 69000 |
| 2 | हस्तकरघा सघन विकास की योजना, गया। | उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), गया। | 168000 | 16000 | 15000 | 1000 | 200000 | 0 | 0 | 5000 | 11000 | 0 | 216000 |
| 3 | हस्तकरघा सघन विकास की योजना, भागलपुर। | उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), भागलपुर। | 126000 | 12000 | 11000 | 1000 | 150000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 155000 |
| 4 | केन्द्रीय डिजाइन सेंटर, राजेन्द्रनगर, पटना। | सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पटना। | 238000 | 21000 | 39000 | 2000 | 300000 | 10000 | 10000 | 0 | 6000 | 0 | 326000 |
| 5 | पोलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर। | प्रबंधक, पोलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर। | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 15000 |
| 6 | | योग | 532000 | 49000 | 65000 | 4000 | 650000 | 10000 | 20000 | 20000 | 17000 | 64000 | 781000 |

कुल सात लाख एकासी हजार रुपये मात्र।


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।